म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल

क्रमांकः 496/भंडार/मप्रभोमुविवि/2024 भोपाल, दिनांकः 12/01/2024

टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दर आमंत्रण – वर्ष 2023–24

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यालयीन उपयोग हेतु टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। दर आमंत्रण प्रपत्र, शर्तें, तथा प्रकिया में भाग लेने हेतु इच्छुक फर्मे कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय भंडार शाखा कक्ष कमांक 36 में संपर्क कर सकती है। सुलभ संदर्भ हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://mpbou.edu.in पर विजिट कर सकते हैं।

एक वर्ष में इस प्रकार के कार्य का अनुमानित मूल्य रूपये 75,000/–(रूपये पचहत्तर हजार मात्र) है, जिसे आवश्यकतानुसार समय–समय पर संपादित कराया जावेगा। दर आमंत्रण प्रपत्र पूर्णतः निःशुल्क है।

कोटेशन सील बंद लिफाफे में, कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से प्रस्तुत किये जावें। लिफाफे के ऊपर टोनर रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दर आमंत्रण – वर्ष 2023–24 दर्ज करें। लिफाफे पर फर्म का नाम, दूरभाष/मोबाईल नंबर अवश्य दर्ज करें। प्रपत्र 1, 2, 3 एवं कंडिका 2 अनुसार अभिलेख अनिवार्य रूप से भरकर पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर करते हुए सील बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है। जानकारी दर्ज करने में, ओवर राइटिंग/काट–छांट के सम्मुख फर्म प्रतिनिधि हस्ताक्षर भी अवश्य करें।

प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाईट http://mpbou.edu.in पर प्रदर्शित की जाएगी। दरें जमा करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

1 दर आमंत्रण फार्म जमा की प्रारंभ तिथि – दिनांक 18/01/2024 प्रातः 11 बजे

2 दर आमंत्रण फार्म जमा की अंतिम तिथि – दिनांक 25/01/2024 सायं 06 बजे

सीलबंद दरें अगली कार्यालयीन दिवस की अगली तिथि को दोपहर 12 बजे खोली जावेंगी।

कुलसचिव

तकनीकी अर्हतायें

1 **अनुभवः**–(i) फर्म को विगत पांच वित्तीय वर्षो (2022–23, 2021–22, 2020–21, 2019–20, 2018–19) में से न्यूनतम तीन वर्षों का, मान्यता प्राप्त शासकीय (केंद्र/राज्य), अर्धशासकीय, निजी संस्थाओं में टोनर काट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत का अनुभव होना चाहिए।

(ii) फर्म का कुल कार्यानुभव (वर्षो में) **प्रपत्र–1 एवं 2** में दर्ज करें।

2 फर्म को समग्र विवरण **प्रपत्र 1** में दर्शित बिन्दुओं की जानकारी अंकित करना होगी एवं निम्नांकित दस्तावेजों की प्रतियां, हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर सहित संलग्न करें :–

(क) **संस्था/फर्म/कम्पनी का इस कार्य का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** की प्रति।

(ख) **PAN** की प्रति

(ग) **GST खाता क्रमांक** की प्रति (यदि किसी प्रकार की छूट प्राप्त है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें)

3 **प्रत्येक पृष्ठः**– जारी प्रपत्र एवं संलग्न अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने की दशा में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाना माना जावेगा। संलग्न दस्तावेजों की सूची तथा पृष्ठ संख्या अंकित करें।

4 **विश्वविद्यालय की प्राथमिकता, कार्य में गुणवत्ता है। फर्म से अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उचित दरें प्रस्तुत करें। प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अवास्तविक/अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय से अनुबंध संपादित करना एवं इसके उपरांत गुणवत्ताहीन कार्य करने पर अनुबंधकर्ता फर्म की सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी अनुबंधकर्ता की होगी।**

5 फर्म का कार्यालय, भोपाल में होना अनिवार्य है।

विशेष

सील बंद लिफाफे पर **"टोनर काट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दर आमंत्रण –वर्ष 2023–24"** लिखें

लिफाफे पर जमाकर्ता फर्म का नाम, पता, मोबाईल नं0 दर्ज करें

लिफाफे में, भरा हुआ प्रपत्र –1, 2 3 तथा कंडिका 2 (क) (ख) एवं (ग) रखें

कार्य की अन्य शर्ते

6 फर्म द्वारा कार्य की दरें, वित्तीय प्रपत्र – 2 में ही प्रस्तुत की जानी है। अन्य कोई फार्मेट स्वीकार नही किया जाएगा। **प्रस्तुत दरें, जीएसटी सहित (WITH GST) होंगी।** देयक में परिवहन इत्यादि के लिए कोई अतिरिक्त राशि स्वीकार्य नही होगी। न्यूनतम दर (L1) वाली फर्म को सफल घोषित किया किया जावेगा।

7 सफल फर्म को राशि रू0 500/– के स्टांप पर एक अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं फर्म के मध्य होगा। अनुबंध के साथ, अनुबंधकर्ता फर्म राशि रू0 5000/– पॉच हजार मात्र सुरक्षा निधि के रूप में FDR के माध्यम से जमा करेगी। अनुबंध समाप्ति उपरांत NO DUES की स्थिति में विश्वविद्यालय में जमा सुरक्षा निधि लौटाई जा सकेगी। अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने पर सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकेगा।

8 अनुबंध अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी। कार्य क्षमता, गुणवत्ता आदि के आधार पर, आपसी सहमति से एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

9 विश्वविद्यालय द्वारा, कार्यादेश विधिवत् रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर भंडार शाखा द्वारा फर्म को हार्डकापी/ई–मीडिया से उपलब्ध कराया जाएगा एवं दूरभाष/मोबाईल नंबर पर सूचित भी किया जाएगा।

10 विवि द्वारा सौंपे गए कार्यादेश का पालन होने के उपरांत देयक सील एवं हस्ताक्षर सहित "कुलसचिव, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, भोपाल" के पक्ष में तीन प्रतियों में तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। देयक पर संबंधित विभाग/शाखा जहॉ कार्टिज रिफिल/मरम्मत की गई है, की संतुष्टि/हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए। फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती/भुगतान की जावेगी।

11 विश्वविद्यालय में वर्तमान में मैग्नेटिक रोलर/डेवलपिंग रोलर उदा0 12A, 88A, 110A आदि जैसे काट्रिज रिफिलिंग हो रही है। कार्यादेश अनुसार तत्काल (अधिकतम 3 दिवस) कार्य संपादित करने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों (Force Majeure) में अवधि बढाए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के सक्षम प्रशासन का निर्णय मान्य होगा। कार्य में गुणवत्ता की कमी की स्थिति में उक्त कार्य को फर्म के व्यय पर पुनः संपादित करना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

12 अनुबंध अवधि में फर्म का दायित्वों/कर्तव्यों से विमुख होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। लिखित सूचना उपरांत भी कार्य करने से मना करने पर जमा सुरक्षा निधि जप्त की जा सकेगी, जिसके लिए फर्म स्वतः जिम्मेदार होगी।

13 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई कोटेशन स्वीकार नही किये जायेंगे। साथ ही वांछित अभिलेखों के अभाव में प्रस्तुत दरें निरस्त मानी जावेंगी।

14 फर्म के प्रतिनिधि दरें खोलते समय उपस्थित रह सकते है।

15 **कार्य सन्तोषजनक न होनाः–** कार्य सन्तोषजनक न होने या अनुबंधकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंधकर्ता का आदेश म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा निरस्त किया जा सकता है एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

16 **विलम्बः–** कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि (03 कार्यदिवस) में, ~~यदि~~ कार्य संपादन में यदि विलंब होता है तो विलंब से संपादित कार्य के देयक की राशि का 5 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।

17 **कार्य संपादित करने में असफल होनाः–**यदि अनुबंधकर्ता, विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल होता है अथवा आवंटित कार्य से पीछे हटना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि विश्वविद्यालय द्वारा राजसात कर ली जावेगी एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

18 **जमा की गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने परः–** फर्म द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर फर्म के विरूद्ध मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

19 **अन्य शर्तो का पालन न करनाः–**उक्त बिन्दुओं के अन्य शर्तों का पालन न करने पर कटौती का अधिकार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

20 निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी, न ही शर्तों का शिथिलीकरण किया जाएगा।

21 **कुलपति/ म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार :–**

21.1 L1 निर्धारण के संबंध में किसी अपरिहार्य स्थिति में विश्वविद्यालय पैरामीटर/ प्रक्रिया निर्धारित कर सफल फर्म के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। विभिन्न फर्मो में कार्य विभाजित भी किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

21.2 प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) या निर्वचन का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

21.3 म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किसी अथवा समस्त दरों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के सभी अधिकार सुरक्षित है।

21.4 फर्म तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

21.5 इस कार्य विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।

21.6 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल जिला न्यायालय होगा।

प्रपत्र–1

प्रति,

कुलसचिव,
म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल ।

विषयः– टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दर आमंत्रण – वर्ष 2023–24 बाबत।

संदर्भः– आपके द्वारा जारी दर आमंत्रण क्रमांक ....दिनांक ..../......../2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र0	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	फर्म का कार्यालयीन पता (भोपाल)	
03	दूरभाष नम्बर	
04	मोबाईल नम्बर	
05	ई–मेल आई0डी0	
06	पेन कार्ड नं0	
07	जीएसटी नं0 (यदि छूट प्राप्त है तो, उल्लेख करें)	
08	फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं दि0	
09	कार्य का अनुभव	.... वर्ष
10	फर्म के बैक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता क0	

मेरे/हमारी संस्था द्वारा दर आमंत्रण प्रपत्र में दिए गए सभी नियम/ शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं दर आमंत्रण की शर्तों के अधीन म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के लिए टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती है।

दिनांक
स्थान

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर

प्रपत्र–2

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा टोनर काट्रिज रिफिलिंग/मरम्मत हेतु दर आमंत्रण – 2023–24 के लिए प्रस्तुत

स्व–घोषणापत्र

मैं/ हम यहाँ सत्यनिष्ठा से इसकी घोषणा और वचन देते है कि –

(1) मैने दर आमंत्रण प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा हमारी संस्था को अक्षरशः मान्य हैं।

(2) इस कार्य हेतु मेरे/हमारी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।

(3) मेरी/हमारी संस्था के पास इस कार्य का ....(.................................) वर्षो का अनुभव है।

(4) कार्य के लिए प्रस्तुत दरें कार्य के दायरे के अनुसार गुणवत्तापूर्ण रीफिलिंग (री–इंकिंग नहीं) और नवीनीकरण के लिए हैं। अनुबंध अवधि के दौरान घटिया गुणवत्ता वाली रीफिलिंग के कारण प्रिंटर, कार्ट्रिज और टोनर को होने वाली किसी भी क्षति की भरपाई मुझसे/हमसे की जाएगी।

(5) हमारी संस्था, वर्तमान में किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं। हमारी फर्म पर किसी भी संस्था की देनदारी शेष नहीं हैं एवं कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(6) हमारी फर्म को आयकर, जीएसटी आदि करो के भुगतान के संबंध में डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया। इस संबंध में हमारे विरूद्व कभी भी वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है।

(7) **मेरे/ हमारी संस्था द्वारा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है।** किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निरस्त किया जाना मुझे/हमें मान्य होगा तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा राजसात किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।

स्थान : ....

दिनांक: ....

शपथगृहीता

नामः ....

पदनाम ....

पताः ....

हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (7) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

शपथग्रहिता

प्रपत्र–3

दर प्रपत्र

दर रू0 में

भाग – A - कार्ट्रिज रिफिलिंग

क0	विवरण	दर जीएसटी सहित
01	Toner Cartridge Refilling	

भाग – B - कार्ट्रिज मरम्मत

क0	विवरण	दर जीएसटी सहित	
		110A (HP136 हेतु)	12A / 88A
01	**Drum**		
02	**PCR Roller**		
03	**Cleaning Blade**		
04	**Magnetic Roller (for 12A/ 88A/ etc)** **Developing Roller (for 110A etc)**		
05	**Doctor Blade**		
06	**Bush**		
07	**Spring**		

जीएसटी दर – .... (जो देयक पर दर्ज करेंगें)

दिनांक
स्थान

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर